

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।



25

दिनांक— 30.6.2025

विषय— श्रीमती खुशी कुमारी द्वारा खगड़िया जिलान्तर्गत बछौता मौजा के खाता संख्या-168, प्लॉट संख्या-356, थाना संख्या-190, पोस्ट-बछौता, थाना-मोरकाही में बछौता-अलौली एम.डी.आर. पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.020625 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 563, दिनांक 23.05.2025,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/156522/2022/967, दिनांक 06.03.2023 द्वारा दो भागों में (A में 1-6 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रही हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 9,13,386.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 11.06.2025 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- BARBR52025061100897809 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा 0.020625 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 19,754/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 11.06.2025 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- BARBR52025061100897809 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 11.06.2025 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन

खुशी कुमारी
(खुशी कुमारी)

पति-श्री चंदन कुमार आर्या,
ग्राम+पोस्ट-संसारपुर,
थाना-मुफ्फसील खगड़िया,
जिला-खगड़िया, पिन-851214

कार्यालय जिला पदाधिकारी, खगड़िया के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

पत्रांक 498 / सा0शा0 / खगड़िया दिनांक 25/7/2024

प्रमाणित किया जाता है कि खगड़िया जिले में प्रयोक्ता एजेन्सी खुशी कुमारी द्वारा I.O.C.L. का रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु रैखिक परियोजना निर्माण स्थल खगड़िया जिलान्तर्गत मौजा-बछौता, खाता नं०-168, प्लॉट संख्या-356, थाना-मोरकाही, में गिरयाही पोखर तक कुल लंबाई (कि०मी०) 27.5 मी० में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.020625 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 302, दिनांक 21.02.2023 द्वारा FRA 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुमति समर्पित किया गया है।

तदुद्देश्य के प्रस्ताव के औचित्यपूर्ण प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कड़िका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्ष से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिभूषित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान - खगड़िया
दिनांक -



जिला पदाधिकारी,
खगड़िया

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 year prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

Place - Khagaria
Date - 25/7/2024



District Magistrate,
Khagaria



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

Branch: KADAMKUAN

Date: 11-06-2025

Base Branch: KADAMKUAN
Account No.: 35040100009635
Name of the Account Holder:
CHANDAN KUMAR ARYA

RTGS/NEFT favouring:

Bank: UNION BANK OF INDIA
Branch: FCS CENTRE BANGALORE
IFS Code: UBIN0996335
Beneficiary's A/c. No.: 150677300
Beneficiary's A/c. Type:
Beneficiary's Name:
CAMPA BIHAR

	Amount (₹)
Amount of Remittance	<u>9,33,140/-</u>
Exchange	
Total	<u>9,33,140/-</u>

Amount(in words) Rupees NINE
LAC THIRTY THREE THOUS
ONE HUNDRED FORTY

Clerk/Cashier/Teller

Acctt.

(Cheque(s) subject to realization)